POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 07.11.2022

1-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा एक वांछित चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 07.11.2022 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1265 /21 धारा 380/427 भादवि के अंतर्गत वांछित चोर योगेश पुत्र दयाराम निवासी डुन्डपुरा, थाना सिढपुरा, जिला कासगंज वर्तमान पता खोडा, जिला गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के अजनारा होम सोसायटी के पीछे तिकोना पार्क की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

योगेश पुत्र दयाराम निवासी डुन्डपुरा, थाना सिढपुरा, जिला कासगंज वर्तमान पता खोडा, जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु.अ.स. 1265/21 धारा 380/427 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

2.मु.अ.स. 517/2022 धारा 414 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

3.मु.अ.स. 518/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.01 चोरी की मोटरसाइकिल

2.01 अवैध चाकू

#सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रतिदिन विशेष अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है एवं नियमों का पालन ना करने वाले लोगों के विरुद्ध ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रतिदिन विशेष अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों, चौराहों, स्कूलों व अन्य जगहों पर छात्रों तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे है जिसमे उन्हें समझाया जा रहा है की जीवन अनमोल है तथा यातायात नियम का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोका जा सकता है। सभी लोगों को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, कार चलाते समय सीट बेल्ट को पहनना चाहिए तथा अपनी लेन में ही चलना चाहिए। लोगों एवं स्कूली छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है। यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सेल द्वारा विभिन्न संस्थानों में यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट भी वितरित किए जा रहे है।

यातायात पुलिस द्वारा नियमों का पालन ना करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में यातायात माह के प्रथम सप्ताह दिनांक 01/11/2022 से दिनांक 07/11/2022 तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बिना हैलमेट-3471, विपरीत दिशा-1070, नो पार्किंग-1172, रेड लाईट जंप-455, बिना सीट बेल्ट-508, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट-183, तीन सवारी-170, वायु प्रदूषण-125, ध्वनि प्रदूषण-80, मोबाइल फोन का प्रयोग-49, बिना डीएल-225, बिना बीमा-143, अन्य-323 (कुल ई-चालान -7974) की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त ड्रंकन ड्राइविंग में 02 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में कुल 22 वाहनों को सीज किया गया।